तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/498/2005/भरतपुर आरती बनाम श्रीमती दरियाई	नम्बर व तारीख
	न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर **एकलपीठ** **श्री गणेश कुमार, सदस्य** उपस्थित– श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री जे.के. पारीक, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण **निर्णय** **दिनांक 02.08.2023** अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2002 बउनवानी श्रीमती दरियाई बनाम श्रीमती आरती में पारित निर्णय दिनांक 31–12–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति, कुम्हेर द्वारा आदेश दिनांक 4–6–2002 को अपीलार्थी श्रीमती आरती को ग्राम किशनुपरा तहसील कुम्हेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2430 में से 0.25हैक्टयर भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी श्रीमती दरियाई ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–12–2004 से स्वीकार कर आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि आरती के नाम खसरा नम्बर 2430 में से 0.25हैक्टयर भूमि का आवंटन आवंटन कमेटी की सलाह पर किया गया था और इसी खसरा नम्बर में से 0.20हैक्टयर भूमि हरीचन्द को एवं 0.26हैक्टयर भूमि धर्मचन्द को भी आवंटन की गयी थी। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया और यह कथन किया कि उक्त विवादित आराजी पर अपीलार्थी के पिता–पति अर्जुन का कब्जा था और उक्त जमीन सिवाय चक होने पर धारा 91भू–राजस्व अधिनियम के नोटिस देने के आधार पर उनका कब्जा मानकर आवंटन निरस्त कर दिया। यदि सिवायचक भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा है तो वह भूमि खाली भूमि ही मानी जावेगी और आवंटन के योग्य मानी जावेगी। रेस्पोडेन्ट ने सम्वत् 2046 की जमाबन्दी के आधार पर खातेदार होने का तर्क किया है और खातेदारी का आधार तो सम्वत् 2012 होता है और सिवायचक भूमि है तो वह आवंटन योग्य ही होती है। इसलिए उक्त अपील स्वीकार की जाकर आवंटन विधिसम्मत् होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/498/2005/भरतपुर आरती बनाम श्रीमती दरियाई	नम्बर व तारीख
	विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि खसरा नम्बर 2430 मंगला वगैराह के कब्जे काश्त में पुश्तैनी चला आ रहा है। सम्वत् 2036 के पत्रक में भी उनका नाम है। सम्वत् 2040-46 में अर्जुन पुत्र मंगला का नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट को कब बेदखल किया ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। आनन्द सहकारी समिति के नाम उक्त भूमि आवंटन हुई थी तब भी रेस्पोडेन्ट शिकमी के रूप में दर्ज था। दिनांक 4-6-2002 का आवंटन आदेश है जो विधि विरूद्ध है। धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम का नोटिस भी उन्हें दिया गया और उनका कब्जा माना गया है। इसलिए आवंटन सही तौर पर अपास्त किया गया है। अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये- 1. 2014 आरआरडी पेज 527 2. 2000 डीएनजे राज. पेज 317 3. 2017 आरबीजे पेज 443 4. 2000 आरआरडी पेज 490 5. 2023 आरआरटी I पेज 272 6. 2013 आरबीजे पेज 621 7. 2005 आरआरडी पेज 544 8. 2005 आरआरडी पेज 629 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलार्थी आरती ने आवंटन कमेटी के समक्ष आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र में खसरा नम्बर 2430 रकबा 0.25हैक्टयर भूमि हेतु आवेदन पेश किया था और आवंटन कमेटी की सिफारिश पर पटटा जारी करने के आदेश दिये गये थे और आरती को खसरा नम्बर 2430 रकबा 0.25हैक्टयर आवंटन होना निर्विवाद है। रेस्पोडेन्ट ने उक्त आवंटन के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के यहां अपील संख्या 26/2002 श्रीमती दरियाई बनाम आरती वगैराह पेश की, जो दिनांक 31-12-2004 को स्वीकार की गयी। रेस्पोडेन्ट की ओर से 2014 आरआरडी पेज 527 न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है जिसमें मण्डल हाजा द्वारा वृहदपीठ के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी को पेश किये जाने को क्षेत्राधिकार में माना है और व्यथित पक्षकार को द्वितीय अपील भी पेश करने का अधिकार है, यह सिद्धान्त भी माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 डीएनजे राज. पेज 317 में व्यक्त किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2014 आरआरडी पेज 527 में मंडल हाजा द्वारा व्यक्त किया है- Rajasthan Land Revenue Act , Section 76 & Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules , R. 14 (4) -Appellant was tenant of disputed land but later on the land was entered as custodian land - Land allotted to respondent and also regularized - Appellant claims on the basis of possession and old Khatedari entry- R.A.A. disallowed on the jurisdiction - Second appeal before Board - Held - The appeal	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/498/2005/भरतपुर आरती बनाम श्रीमती दरियाई	नम्बर व तारीख
	before RAA was against allotment being contrary to law (Rule 14 (4) Therefore RAA is competent to hear appeal u / s 75 of LR Act Order set aside- Case remanded. अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2000 डीएनजे राज. पेज 317 में माननीय उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया है– Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purpose) Rules , 1970 - R . 14 (4) -2nd appeal by complainant before Board of Revenue - Appeal dismissed on the ground of no locus standi - Learned Single Judge also upheld the order - Special appeal - Applicant / complainant is not merely an informant but he has to establish facts alleged in the application - Appellants have also stated specifically that they are in possession of the land before allotment made to respondent - ' R ' - Held , Appellant / complainant have locus standi to file the 2nd appeal & the impugned order is set aside & Board of Revenue is directed to decide the appeal on merits. अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2017 आरबीजे पेज 443 में व्यक्त किया है– RAJASTHAN LAND REVENUE (Allotment and Sale of Government Land for Agricultural purposes Rules) 1970- Rule 14 (4) and civil procedure code 1908 Order 1 Rule 9- When allotment was cancelled on the complaint of complainant he is a necessary party in appeal. अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2000 आरआरडी पेज 490 में व्यक्त किया है– Raj. Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, R.14 (4) -Raj . Land Revenue Act , S.76 - Application u/R 14 (4) of the Rules for cancellation of allotment - Collector allowed application and cancelled the allotment - R.A.A . in appeal restored the allotment preferred by applicant (complainant) before Board of Revenue - Whether applicant has locus standi to prefer the appeal in proceedings u/R 14 (4) - Held, yes. अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2023 आरआरटी I पेज 272 में व्यक्त किया है– Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules , 1970 - Rule 14 (4) -Allotment of land to petitioners Respondent No. 1 filed the complaint to quash the allotment order Respondent No. 1 contended that the disputed lands are in his possession and the petitioners are not the landless persons - Allotment cancelled - Revenue Appellate Autority dismissed the appeal - Quorum was not complete at the time of allotment - S.D.O. could not be included n Quorum - Allotment is contrary to law - Held, No illegality in the concurrent judgments. अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2013 आरबीजे पेज 621 में व्यक्त किया है– RAJASTHAN LAND REVENUE (Allotment of Government Land for Agri cultural Purposes) RULES, 1970 Rule 2, 4 & 14 - Allotment obtained by fraud and misrepresentation can be cancelled at any time. In this case, allotment of Government land was obtaned by fraud and misrepresentation. Such allotment can be cancelled at any	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/498/2005/भरतपुर आरती बनाम श्रीमती दरियाई	नम्बर व तारीख
	time. Appeal accepted. अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2005 आरआरडी पेज 544 में व्यक्त किया है– Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Rule 13 - Appeal against order of R.A.A. - Allotment of land for agrl. purposes can be made with the advice of the Allotment Advisory Committee as per Rule 13 (6) -S.D.O . allotted land to appellant again without convening meeting of Allotment Advisory Committee which against the Rules - Order of R.A.A. dt . 19.1.2001 in Appeal No. 560/2000 is Justified - No interference is required in accepting appeal and setting aside allotment - Appeal, held devoid of substance - Order of R.A.A., confirmed. अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2005 आरआरडी पेज 629 में व्यक्त किया है– Rajasthan Land Revenue (Allotment of Govt . Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Rule 13 (3 - A) - Appeals against order of R.A.A. - The quorum for constituting the meeting of Advisory Committee shall be three members of whom one shall be from clause (i), (ii) or (iii) of sub - rule (1) -It means presence of one of the elected members, i.e. Member of the Legislative Assembly, Pradhan or Sarpanch is necessary - Administrator is not representative of public and cannot replace Sarpanch - Held, presence of there persons, Tehsildar, Vikas Adhikari and Administrator does not fulfil the quorum for allotment - Addl. Collector rightly set aside the allotment - Order of R.A.A. is not according to law and set Addl. Collector, confirmed. लेकिन मौजूदा प्रकरण में आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक में दिनांक 04.06.2002 में आरती द्वारा खसरा नंबर 2430 में से 0.25 हैक्ट0 के लिए आवेदन पेश किया व आंवटन सलाहाकार समिति की अनुशंाषा पर उक्त भूमि आवंटन की गई है जिसके विरूद्ध मौजूदा रैस्पोडेन्ट ने राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, भरतपुर के यहां अपील पेश की है जबकि राजस्थान भू– राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अनुसार जिला कलक्टर का यह अधिकार है कि वह स्वतः प्रेरणा से या किसी शिकायत पर दूसरे पक्ष को सुनकर आवंटन निरस्त कर सकता है लेकिन यहां राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने ही आवंटन को निरस्त किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी को तो कलक्टर के आदेश के विरूद्ध ही अपील सुनने का प्रावधान है। उक्त नियमों के नियम 14(4) के तहत यह व्यवस्था दी गयी है – ''उपखण्ड अधिकारी या (तहसीलदार) द्वारा या नियम 21 द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा किये गये, किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने की कलक्टर को शक्ति होगी, यदि आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्ध किया हो अथवा यदि आवंटिती ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/498/2005/भरतपुर आरती बनाम श्रीमती दरियाई	नम्बर व तारीख
	आवंटन की शर्तो में से किसी भी शर्त को भग किया हो।'' माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत और अन्य न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य मौजूदा प्रकरण से भिन्न है। इन प्रकरणों में नियम 14(4) के तहत पहले आवंटन के विरूद्ध आवेदन पर जिला कलक्टर द्वारा ही आदेश पारित किया गया है जबकि मौजूदा प्रकरण में आवंटन आदेश के विरूद्ध सीधे ही अपील राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, भरतपुर के पास पेश हुई है। राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने नियमों के विपरीत जाकर अपील सुनी है। रैस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2014 आरआरडी पेज 527 के अनुसार मामला रिमांड किया गया है। अतः मौजूदा प्रकरण में उक्त नियमों 1970 के तहत नियम 14(4) के तहत जिला कलक्टर द्वारा आदेश होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी अपील सुनने का अधिकार रखते है। उक्त कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण जिला कलक्टर, भरतपुर को निर्देशों के साथ के प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है। परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 26/2002 बउनवानी श्रीमती दरियाई बनाम श्रीमती आरती में पारित निर्णय दिनांक 31-12-2004 निरस्त किया जाता है और प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 जिला कलक्टर, भरतपुर के समक्ष आवंटन आदेश के विरूद्ध नियमानुसार राजस्थान भू- राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थनापत्र एक माह की अवधि में प्रस्तुत कर सकेगें। यदि आवेदन पेश होता है तो जिला कलक्टर, भरतपुर उभयपक्ष को सुनकर आगामी छः माह में प्रार्थनापत्र का निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख नियमानुसार प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	